प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 31.08.2025

कूटरचना द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन दिलाने के एवज में रूपये लेकर गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी थाना रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 आनन्द उपाध्याय द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 0560/2025 धारा 319(2),318(4) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 336(3),338,340(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त दिलीप को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को सस्ते दाम पर जमीन दिलाने के नाम पर अपनी पहचान बदलकर 22,00,000 रू0 (बाईस लाख रूपये) ले लिया गया तथा वादिनी के मुहल्ले के ही 02 अन्य महिलाओं से भी 2,50,000 रूपये लेकर हड़प लिया गया किन्तु जमीन नहीं दिलाया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुआ जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 336(3),338,340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलीप पुत्र जसई निवासी हरदिया पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 0560/2025 धारा 319(2),318(4), 336(3),338,340(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आनन्द उपाध्याय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. कां0 आशुतोष यादव रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 दीपक कुमार थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर